



“जनपद जौनपुर में भूमि उपयोग परिवर्तन का कृषि भूमि पर प्रभाव, एक भौगोलिक विश्लेषण”

कन्हैया लाल गुप्ता¹, डॉ. कमल सिंह बिष्ट², रबिन्द्रनाथ³

¹शोध छात्र, भूगोल विभाग डी.बी.एस.(पी.जी.) कॉलेज देहरादून.

²असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग डी.बी.एस.(पी.जी.) कॉलेज देहरादून.

³शोध छात्र, भूगोल विभाग डी.बी.एस.(पी.जी.) कॉलेज देहरादून

सारांश:-

भूमि उपयोग एवं उसका महत्व मानवीय आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं। जिसमें भूमि का बदलता स्वरूप कोई नवीन घटना नहीं है बल्कि एक स्थानिक भूमि स्थानान्तरण प्रक्रिया है, जो स्थान एवं काल के संदर्भ में सतत घटित होती रहती है, जो मानवीय समुदाय के आर्थिक स्रोतों एवं व्यवसायिक क्रियाओं में परिवर्तन से प्रभावित होती है। प्रस्तुत शोधपत्र विगत दो दशकों (1996-2016) में भूमि उपयोग परिवर्तन एवं उसका कृषि भूमि पर प्रभाव विशेषतः भौतिक परिवेश, सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था जैसी स्थानीय घटनाएँ वन, शुद्ध वापित भूमि, कृषि योग्य बेकार भूमि, परती भूमि, ऊसर भूमि एवं कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि के प्रतिरूप निरन्तर प्रभावित हुये हैं। क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि का कृषि भूमि पर दबाव, सिंचाई के साधनों की उचित व्यवस्था एवं वितरण, परम्परागत एवं उन्नतशील कृषि यंत्रों का उपयोग एवं कृषि विधि में परिवर्तन कर खाद्य आपूर्ति जैसे चुनौतियों से निपटने आदि पर केन्द्रित है।



सांकेतिक शब्द:- भूमि उपयोग, शुद्ध वापित भूमि, कृषि योग्य बेकार भूमि, स्थायी एवं अस्थायी परती भूमि, ऊसर भूमि एवं सुधार, कृषि भूमि पर दबाव।

प्रस्तावना :

भूमि एक सीमित एवं बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसका उपयोग मानव सभ्यता के विकास के आरम्भिक चरणों में खाद्य आपूर्ति एवं आवास के रूप में भूमि उपयोग करना आरम्भ किया। परन्तु उस समय सीमित मानव एवं सीमित आवेगताये भूमि उपयोग का अधिक प्रभावित नहीं कर सकी। वर्तमान समय में

बढ़ती जनसंख्या तथा उसकी आधारभूत माँग, रहने के लिए आवासिय भूमि एवं खाद्य आपूर्ति के लिए कृषि भूमि उपयोग के परिवर्तन में तीव्रता आई है। समय के साथ-साथ मानव के विकासीय प्रवृत्ति ने उसके सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ ही प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति का बन गया। इन सभी प्रकार के परिवर्तनों में आर्थिक क्रियाओं की बढ़ती प्रवृत्ति एवं उनका

तीव्र विस्तार भूमि उपयोग को सर्वाधिक प्रभावित किया है। “भूमि प्रयोग के अन्तर्गत कोई भू-भाग प्राकृतिक प्रदत्त विशेषताओं के अनुसार रहता है।” (फाक्स 1956), आर0सी0 तिवारी पृ0 76। भूमि उपयोग तथा उसके अध्ययनों से सम्बन्धित श्री गणेश जी.पी. मार्स (1864), कार्ल सावर (1919) और जोन्स और फिच (1925) जैसे विद्वानों ने किया किन्तु भूमि उपयोग

के वास्तविक रहस्यो का उद्घाटन द्वारा स्टाम्प (1931) एवं बक जैसे विद्वानों ने किया। प्रो० बाल्केन वर्ग की अध्यक्षता में अन्तरराष्ट्रीय भौगोलिक संघ (1949) में गठन के बाद विश्व के देशों में भूमि उपयोग सम्बन्धित कार्यों का आरम्भ हुआ।

1964 में कोयाक द्वारा प्रकाशित “ कृषि मानचित्रावली” भूमि उपयोग की महत्वपूर्ण श्रंखला थी। भारतीय संदर्भ में एस.पी. चटर्जी (1945-52) सर्वप्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण एवं शोध कार्य का सूत्रपात 24 परगणा और हावडा जिले में किया। प्रो० वी०ली० एल० प्रकाश राव 81947-56) ने गोदावरी नदी के क्षेत्र में भूमि उपयोग का शोध पूर्ण सर्वेक्षण किया। प्रो० ओ० पी० भारद्वाज ने ब्यास एवं सतलज नदी के दोआब क्षेत्र में भूमि उपयोग का विशद अध्ययन किया। प्रो० एम० शफी० ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग का विश्लेषणात्मक अध्ययन शोध कार्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया।


भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप कोई नवीन घटना नहीं वस्तुतः एक स्थानिक प्रक्रिया है, जो समय स्थान के संदर्भ में सतत घटित होती रहती है। सामाजिक, अर्थिक, तकनीकी एवं संघटनात्मक कारकों के पारस्परिक क्रिया एवं निरंतरता के परिणाम स्वरूप भूमि उपयोग का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। (भाटिया 1970)।


“भूमि उपयोग, प्राकृतिक भू-दृश्य या वनस्पति आच्छादित भू पटल के संदर्भ में ही नहीं बल्कि मानवीय क्रिया कलाप से उत्पन्न उपयोगी सूधारो के रूप में होना चाहिए”(बुड 1972)।

अध्ययन क्षेत्र:-

मध्य गंगा के मैदान में गोमती नदी के तट पर जौनपुर शहर ऐतिहासिक दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखता है। इसका भौगोलिक अक्षांशीय विस्तार $25^{\circ} 26'$ से $26^{\circ} 11'$ उत्तरी अक्षांश एवं देशांतर विस्तार $82^{\circ} 8'$ पूर्व से $83^{\circ} 5'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य विस्तृत है। यह गंगा नदी की घाटी के उत्तर एवं वाराणसी मंडल के पश्चिमोत्तर भाग (पूर्वांचल) में अवस्थित है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं के साथ साहित्य एवं कला में उत्कृष्टता के कारण इसे शिराज-ए-हिन्द कहाँ जाता है। जनपद के उत्तर-पश्चिम में सुल्तानपुर, दक्षिण में संतरविदास नगर, दक्षिण-पश्चिम में प्रयाग, पश्चिम में प्रतापगढ़, उत्तर में अम्बेडकर नगर एवं आजमगढ़ तथा पूर्व में गाजीपुर जनपद की सीमा अध्ययन क्षेत्र से संलग्न है। जनपद जौनपुर का भौगोलिक क्षेत्रफल

जनपद जौनपुर – अवस्थिति मानचित्र






40389 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 4497204 है जिसमें 92.29 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है। उच्चावच की दृष्टि से जनपद के सम्पूर्ण भू-भाग में सामान्यतः समतल एवं न्यूनतम ढाल वाला क्षेत्र है। जनपद की समुद्र तल से औसत ऊँचाई 92 मीटर से कम है। जनपद जौनपुर प्रशासनिक दृष्टि से 6 तहसीलों एवं 21 विकासखण्डों में विभाजित है।

अध्ययन क्षेत्र के उद्देश्य :-

प्रस्तुत अनुसंधान प्रपत्र का मुख्य उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र में विगत 20 वर्षों में (1996-2016) विकास खण्डवार भूमि उपयोग परिवर्तन एवं उसका कृषि भूमि पर प्रभाव का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करना है तथा उन पर भौतिक एवं मानवीय तत्वों के प्रभावों को उद्घृत करना है जो भूमि परिवर्तन के विशिष्ट विशेषताओं के लिए उत्तरदायी है।

ऑकड़ों का संग्रह तब विधितंत्र :-

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीय ऑकड़ों पर आधारित है। ऑकड़ों का संकलन सांख्यिकी पत्रिका, भू-लेख विभाग, आर्थिक संचालन विभाग और सांख्यिकीय विभाग द्वारा प्रकाशित एवं अप्रकाशित स्रोत तथा पूर्व में किये गये अनुसंधान से प्राप्त किये गये हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में सर्वप्रथम समस्याओं की पहचान कर साहित्यिक पुनरावलोकन किया गया। एम0 एस0 एक्सल 2013 की सहायता से संगृहित आकड़ों का सारणियन एवं विश्लेषण किया गया है तथा जी.आई.एस. की सहायता से उचित ग्राफ एवं मानचित्रों के माध्यम से आकड़ों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है।



भूमि उपयोग:-

किसी भी प्रदेश/क्षेत्र के भूमि उपयोग प्रतिरूप वहाँ की स्थालाकृतिक, जलवायु, मिट्टी, मानवीय क्रियाये एवं अन्य कारको का प्रतिफल है। वर्तमान में जनसंख्या के बढ़ते दबाव एवं उसके परिणाम स्वरूप बढ़ते खाद्यानो की माँग, आर्थिक गतिविधियों एवं प्रोद्योगोगिकी स्तर में उन्नयन के कारण भूमि उपयोग प्रतिरूप में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1948 में नियुक्त “टेक्निक कमेटी ऑन को-ओर्डिनेट ऑफ एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टीक्स” की सस्तुती के आधार पर जनपद जौनपुर के सामान्य भूमि उपयोग क विभिन्न वर्गों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

वन क्षेत्र :-

किसी भी देश के आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय दशाओं में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वन एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में इर्धन हेतू लकडी एवं अन्य खाद्य सामाग्री के उत्पादों के साथ लधु एवं कुटीर उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ती करती है। इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरण अनूकूलन, मर्दा संरक्षण, भूमिगत जल संरक्षण एवं वायु को शुद्ध रखने के लिए है। राष्ट्रीय वन नीति के तहत मैदानी भागों में लगभग 20 प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों की उपस्थिति आवश्यक मानी गयी है। (चन्देल,1991)।

जनपद जौनपुर में उपस्थित वन राष्ट्रीय एवं मैदानी क्षेत्रों के मानको के अनुरूप न होकर अतिनिम्न स्तर की है। एवं उसका वितरण में अत्यधिक असमानता पाई गयी है। क्षेत्र में वर्ष 1996 में 63 हेक्टेअर भू-भाग पर वन आक्षादित थी। जो कुल प्रतिवेदित भूमि का मात्र 0.02 प्रतिशत थी, विकासखण्ड स्तर वनों का विश्लेषण करने पर तेरह ऐसे विकासखण्ड अधिसुचित की गयी जहाँ वन आवरण क्षेत्र शून्य थी तथा सर्वाधिक वनाच्छादित

विकासखण्डों में सुईथाकला में कुल वन क्षेत्र का 0.07% थी। वर्ष 2016 में कुल वन क्षेत्र में 311 प्रतिशत वृद्धि के साथ 259 हेक्टेयर (0.07 %) हो गयी। फिर भी यह उच्च वृद्धि दर भी क्षेत्र में वन विस्तार हेतु नग्न है। विकासखण्डवार आकड़ों के विश्लेषण करने से सर्वाधिक वृद्धि वाले अधिसूचित विकासखण्ड क्रमशः मडियाहू, 439%, (5 हेक्टेअर), रामपुर (320%), मुक्तिगंज 302% प्राप्त है एवं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले अधिसूचित विकासखण्ड खुटहन एवं बक्सा है जहाँ वन क्षेत्र का ह्रास हुआ है। अब क्षेत्रफल के आधार पर कुछ विकासखण्ड ऐसे हैं जहाँ पर प्रति हेक्टेअर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज हुई है, जिसमें रामपुर, बससठी एवं महारजगंज, में हुई है जहाँ वर्ष 1996 में वन क्षेत्र शून्य था।

तालिका संख्या-1 (अ) जनपद जौनपुर भूमि उपयोग परिवर्तन का विकासखण्डवार वितरण (1996-2016)


विकासखण्डवार 2016-17	कुलप्रतिवेदितक्षेत्रफल	वन प्रतिशत में			शुद्धबोयागयाक्षेत्रफल प्रतिशत में			कृष्यवेकारभूमि प्रतिशत में			वर्तमानपरती प्रतिशत में		
		1996	2016	परिवर्तन	1996	2016	परिवर्तन	1996	2016	परिवर्तन	1996	2016	परिवर्तन
1. सुईथाकला	20227	0.07	0.10	53.20	74.08	60.83	-17.89	1.76	2.10	18.97	6.35	5.81	-8.46
2. शाहगंज	29233	0.00	0.02	0.00	67.76	62.93	-7.12	1.32	2.40	81.64	12.47	6.28	-49.60
3. खुटहन	19871	0.03	0.02	-21.05	72.92	61.79	-15.26	1.62	2.27	40.27	5.82	9.23	58.71
4. करंजाकला	17795	0.00	0.00	0.00	76.38	74.57	-2.38	2.67	2.44	-8.32	2.12	4.46	110.03
5. बदलापुर	21405	0.00	0.00	0.00	78.16	74.16	-5.12	1.74	2.17	24.47	4.08	5.82	42.41
6. महाराजगंज	18702	0.00	0.06	0.00	72.90	70.52	-3.26	1.92	1.66	-13.88	7.29	8.44	15.89
7. बक्स	17144	0.04	0.03	-1.11	76.27	74.98	-1.68	1.23	0.99	-20.03	3.85	5.31	38.18
8. सुजानगंज	22363	0.00	0.05	0.00	72.50	70.13	-3.26	2.04	1.70	-16.84	3.79	6.83	80.48
9. मुनाराबादशाहपुर	23282	0.00	0.00	0.00	72.49	70.88	-2.22	3.02	1.01	-66.76	3.92	7.01	78.64
10. मछलीशहर	25785	0.03	0.05	74.10	69.65	71.03	1.97	2.68	1.58	-41.07	8.87	6.88	-22.42
11. मडियाहू	21071	0.00	0.02	439.46	74.04	71.11	-3.96	2.95	2.35	-20.25	6.66	7.27	9.18
12. बससठी	21421	0.05	0.13	157.69	69.00	68.67	-0.48	2.32	3.13	34.75	5.50	7.88	43.15
13. सिकारा	14877	0.03	0.09	174.93	76.17	73.62	-3.35	2.36	1.93	-18.42	6.59	9.17	39.22
14. धर्मपुर	9380	0.00	0.14	0.00	68.84	72.19	4.86	2.06	2.10	2.11	7.32	5.50	-24.82
15. रामनगर	18218	0.00	0.06	0.00	73.75	69.38	-5.92	2.50	2.91	16.67	4.29	7.44	73.43
16. रामपुर	20240	0.04	0.18	320.05	77.45	66.21	-14.51	2.00	2.85	42.16	4.25	13.86	226.54
17. मुपतीगंज	13179	0.03	0.12	302.73	71.72	72.99	1.77	1.97	1.40	-28.91	6.79	10.66	57.00
18. जलाजपुर	14781	0.00	0.09	0.00	73.88	72.61	-1.73	1.56	1.31	-15.81	6.31	9.74	54.17
19. केराकत	16135	0.00	0.08	0.00	74.47	72.54	-2.60	1.30	1.77	36.52	5.94	9.59	61.54
20. डोभी	15022	0.00	0.05	0.00	75.80	73.06	-3.62	1.41	1.12	-20.45	4.50	10.07	123.80
21. सिरकोनी	16751	0.00	0.19	0.00	70.88	63.79	-10.01	2.59	1.29	-50.31	5.15	16.30	216.37
योग	396882	0.02	0.07	311.22	73.12	69.50	-4.95	2.07	1.96	-5.10	6.00	8.11	35.18

स्रोत-जिला सांख्यिकी पत्रिका (स्पाइडर) जनपद जौनपुर, 1996-2016


तालिका संख्या-1 (ब) जनपद जौनपुर भूमि उपयोग परिवर्तन का विकासखण्डवार वितरण (1996-2016)

विकासखण्डवार 2016-17	अन्यपरती प्रतिशत में			ऊसर एवं कृषिके अयोग्य भूमि प्रतिशत में			कृषिके अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि प्रतिशत में			चारागाह प्रतिशत में			उद्यानों व खाई एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल प्रतिशत में		
	1996	2016	परिवर्तन	1996	2016	परिवर्तन	1996	2016	परिवर्तन	1996	2016	परिवर्तन	1996	2016	परिवर्तन
1. सुइथाकला	3.64	14.65	302.97	1.65	1.35	-17.69	10.66	13.87	30.15	0.59	0.49	-16.43	1.22	0.80	-34.75
2. शाहगंज	2.84	12.31	334.28	1.45	1.56	7.95	12.66	13.66	7.84	0.63	0.65	2.65	0.88	0.18	-78.90
3. खुटहन	4.18	6.21	48.51	1.57	1.20	-23.17	11.81	17.40	47.35	0.67	0.48	-28.98	1.39	1.39	0.14
4. करंजाकला	2.43	3.05	25.38	1.87	1.52	-18.71	12.57	12.13	-3.49	0.79	0.73	-8.02	1.16	1.10	-5.29
5. बदलापुर	3.34	4.31	29.05	1.22	0.97	-20.46	9.38	9.50	1.26	0.17	0.17	-0.48	1.92	2.92	52.45
6. महाराजगंज	4.45	6.23	39.93	1.41	1.16	-17.94	10.07	10.87	7.95	0.28	0.23	-19.31	1.67	0.83	-50.12
7. बक्सा	4.38	2.26	-48.42	1.06	0.75	-29.68	11.54	13.54	17.40	0.11	0.05	-53.16	1.53	2.08	35.79
8. सुजानगंज	7.47	5.20	-30.42	1.36	1.25	-8.08	11.46	13.02	13.55	0.31	0.28	-9.00	1.07	1.54	44.32
9. मुग़राबादशाहपुर	3.80	3.84	0.92	3.20	3.90	21.89	12.42	12.94	4.19	0.27	0.24	-8.57	0.88	0.19	-78.06
10. मछलीशहर	3.50	5.18	48.02	2.74	3.26	19.19	11.55	11.02	-4.61	0.40	0.54	36.36	0.58	0.46	-21.48
11. मड़ियाह	3.98	6.22	56.35	2.82	1.92	-32.11	8.18	9.89	20.89	0.32	0.43	33.02	1.04	0.79	-24.11
12. बरसठी	5.66	5.87	3.67	1.25	2.32	85.31	14.42	11.36	-21.21	0.44	0.20	-54.86	1.35	0.45	-66.50
13. सिकरारा	3.66	1.98	-45.75	1.27	1.34	5.74	8.24	9.28	12.59	0.30	0.23	-23.51	1.39	2.37	70.74
14. धर्मोपुर	5.94	2.75	-53.72	1.87	1.22	-34.97	11.61	13.28	14.43	0.09	0.04	-52.08	2.27	2.78	22.35
15. रामनगर	5.06	6.54	29.33	2.62	2.42	-7.72	9.45	10.23	8.19	0.19	0.21	14.25	2.14	0.80	-62.63
16. रामपुर	5.14	3.60	-29.86	1.45	1.29	-11.11	7.79	10.80	38.64	0.38	0.24	-37.12	1.51	0.97	-35.81
17. मधुतीगंज	4.85	1.68	-65.45	1.70	1.59	-6.48	10.57	10.24	-3.12	0.52	0.75	44.46	1.85	0.57	-69.18
18. जलालपुर	3.99	1.17	-70.66	1.76	1.90	7.79	10.98	10.87	-1.03	0.17	0.12	-30.35	1.35	2.21	63.67
19. केराकत	4.70	2.28	-51.46	1.40	1.22	-13.01	10.34	11.26	8.93	0.27	0.20	-25.40	1.59	1.06	-33.30
20. डोभी	5.03	2.97	-40.97	1.47	1.54	4.32	9.96	9.46	-5.00	0.41	0.47	13.80	1.43	1.27	-10.86
21. सिरकोनी	5.43	3.06	-43.60	2.01	1.19	-40.78	11.86	12.14	2.31	0.29	0.00	-100.00	1.78	2.04	14.65
योग	4.36	5.28	21.26	1.79	1.73	-3.63	10.92	11.84	8.41	0.38	0.34	-10.90	1.35	1.17	-12.85

स्रोत-जिला सांख्यिकी पत्रिका (स्प्रेडशिट) जनपद जौनपुर, 1996-2016



चित्र-1



चित्र-2

शुद्ध वापित भूमि:-

कुल प्रतिवेदित भूमि में से कृषि हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली भूमि को शुद्ध वापित भूमि कहते हैं (स्टाम्प, 1948)। शुद्ध कृषित भूमि, भू उपयोग का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके उपयोग की विभिन्न अवस्थाये मानव के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के स्तर का द्योतक होता है (मेयर, 1992)। कृषि प्रत्यक्ष रूप से समतल धरातल, उपजाऊ मिट्टी तथा अनुकूल जलवायविक आदी प्राकृतिक दशाओं की अनुकूलता/प्रतिकूलता से प्रभावित होती हैं। समानता मानव कृषि कार्य से सम्बन्धित विभिन्न कृषि यान्त्रिकी तकनीको का विकास कर कृषि भूमि के विकास के लिए सदैव प्रत्यनशील रहा क्योंकि कृषि उत्पादकता इन्ही कारको पर निर्भर करती है। अध्ययन क्षेत्र में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उसके जीविकोपार्जन हेतु कृषि भूमि को अधिकाधिक सम्मलित किया गया है। वर्ष 1996 में 290284 हेक्टेअर (73.2 प्रतिशत) थी जो वर्ष 2016 में घटकर 275836 हेक्टेअर (69.5 प्रतिशत) तथा कुल 4.9 प्रतिशमत शुद्ध वापित भूमि में कमी हुई। विकासखण्ड स्तर पर वर्ष 1996 में सर्वाधिक शुद्ध वापित क्षेत्र वाले अधिसूचित विकासखण्ड क्रमशः बदलापुर, (78.6 प्रतिशत) रामपुर (77.45 प्रतिशत), करंजाकला (76.38 प्रतिशत) दर्ज की गयी, तथा न्यूनतम अधिसूचित वाले विकासखण्ड क्रमशः शाहगंज (67.76 प्रतिशत), धर्मापुर (68.84 प्रतिशत) तथा बरसठी (69.0 प्रतिशत) दर्ज की गई थी। वर्ष 2016 में सर्वाधिक शुद्ध वापित भूमि रखने वाले विकासखण्ड क्रमशः बक्सा (74.98 प्रतिशत), करंजाकला (74.57 प्रतिशत) एवं बदलापुर (74.16 प्रतिशत) दर्ज की गयी तथा न्यूनतम अधिसूचित विकासखण्ड क्रमशः सुइथाकला (60.83 प्रतिशत) खुटहन (61.79 प्रतिशत) एवं शाहगंज (62.93 प्रतिशत) दर्ज की गयी।

जनपद में जनसंख्या वृद्धि का प्रत्यक्ष रूप से भूमि पर प्रभाव पडा है जिसके कारण विगत दो दशको सन् 1996-2016 के मध्य कुल शुद्ध वापित भूमि में 4.98 प्रतिशत का ह्रास हुआ है। जिसका प्रमुख कारण जलवायुविक विषमता, सिंचाई की अवयवस्था, जोत के आकार में विखंडन, स्थानिय पलायन आदी प्रमुख प्रतिकूल कारण रहे हैं। वर्ष 1996-2016 में विकासखण्ड स्तर समको का विश्लेषण करने पर सर्वाधिक कृषि वापित क्षेत्र में कमी दर्ज करने वाले अधिसूचित विकासखण्ड क्रमशः धर्मापूर (-19.6 प्रतिशत), डाभी (-16.33 प्रतिशत) तथा मछली शहर (14.13 प्रतिशत) एवं अधिकतम वृद्धि दर्ज करने वाले अधिसूचित विकासखण्ड मडियाहू (18.94 प्रतिशत), बदलापुर (9.57 प्रतिशत) तथा महाराजगंज (1.08 प्रतिशत) पाई गयी। जिन विकासखण्डों में वृद्धि दर्ज की गई है वहाँ उद्यानों एवं अन्य भूमि में कमी तथा भूमि सुधार, प्रतिभूमि में कमी आदी प्रमुख कारण है।

कृषि योग्य बेकार भूमि:-

वह भूमि जो पिछले पाँच वर्षों या उससे अधिक तक परती या अकृषित है तथा किन्ही कारणों से ऐसी भूमि को कृषि कार्य हेतु उपयोग मे नही लायी जाती जैसे व्यर्थ पडी भूमि, चारागाह, वृक्षों के झुण्ड व बंजर भूमि

आदि। कृषि योग्य बेकार भूमि से आशय उस भूमि से हो जो कृषि हेतु प्राप्त नहीं है किन्तु इसे अल्प लागत द्वारा कृषित भूमि में परिवर्तन किय जा सकता है। (मलिक 1975)। आधुनिक कृषि क्षेत्र में विकसित तकनीकी यन्त्रों व उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरकों तथा सिंचाई व्यवस्था में सुधार करके ऐसी कृषि योग्य बेकार भूमि को कृषि हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। वर्ष 1996 में इस वर्ग की कुल भूमि 8402 हेक्टेयर (2.07 प्रतिशत) थी जो 2016-17 में घटकर 7782 हेक्टेयर (1.96 प्रतिशत) रह गयी। विकासखण्ड स्तर पर समको का विश्लेषण करने पर 1996 में सर्वाधिक कृषि योग्य बेकार भूमि वाले अधिसूचित विकासखण्ड क्रमशः मुगराबाद शाहपुर (3.02 प्रतिशत) मडियाहू (2.95 प्रतिशत), मछलीशहर (2.68 प्रतिशत) तथा न्यूनतम विस्तार वाले अधिसूचित विकासखण्ड क्रमशः बढसा (1.23 प्रतिशत), केराकत (1.3 प्रतिशत) एवं शाहगंज (1.32 प्रतिशत) सम्मिलित थी। वर्ष 2016 में सर्वाधिक कृषि योग्य बेकार भूमि वाले विकासखण्ड बरसठी, राम नगर तथा रामपुर क्रमशः 3.13, 2.91 एवं 2.85 प्रतिशत विस्तार तथा न्यूनतम विस्तार वाले विकासखण्ड बकसा, मुगराबादशाहपुर एवं डोभी क्रमशः 0.99, 1.01 तथा 1.12 प्रतिशत सम्मिलित है।

अध्ययन क्षेत्र में कृषि योग्य बेकार भूमि में पिछले दो दशकों वर्ष 1996-2016 तक 5.2 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है जिसका प्रमुख कारण भूमि सुधार नीति, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार एवं तकनीकी परिवर्तन रहे हैं। अध्ययन क्षेत्र में विकासखण्ड स्तर पर आकड़ों का विश्लेषण करने पर क्षेत्र में असमान गति से परिवर्तन हुई है क्योंकि कुछ ऐसे विकासखण्ड अधिसूचित किये गये हैं जहाँ कृषि योग्य बेकार भूमि में तीव्र गति से सुधार हुआ है। जिनमें प्रमुख विकासखण्ड मुगराबाद शाहपुर (66.57 प्रतिशत), मछली शहर (45 प्रतिशत) एवं सिरकोनी (39.59 प्रतिशत) की कमी हुई है एवं कुछ ऐसे विकासखण्ड भी हैं जहाँ कृषि योग्य बेकार भूमि में वृद्धि हुई है जिनमें प्रमुख अधिसूचित विकासखण्ड शाहगंज (78.83 प्रतिशत), रामनगर (47.5 प्रतिशत एवं खुटहन (42.14 प्रतिशत) के साथ आठ विकासखण्डों में यह वृद्धि दर्ज की गई। क्षेत्र में जहाँ कुछ विकासखण्ड में भूमि सुधार के कारण कमी दर्ज हुई है तो दूसरी ओर कुछ विकासखण्डों में भूमि की मृदा अपरदन के कारण बढ़ती अनुपजाऊ भूमि, नहरो द्वारा सिंचाई एवं उसके संचालन में अनियमितता के कारण लवणीय भूमि एवं जलजमाव आदि कारणों से कृषि कार्य नहीं हो रहे हैं।

वर्तमान परती भूमि :-

वह भूमि जो दो वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है वर्तमान परती भूमि के अंतर्गत आती है। इस प्रकार की भूमि में पहले कृषि की जाती रही थी किन्तु वर्तमान (एक-दो वर्ष) समय में ऐसी भूमि पर कृषि कार्य नहीं की जा रही है। ये ऐसी भूमि है, जिस पर यदि निरन्तर कृषि उत्पादकता में कमी के साथ-साथ आर्थिक बोझ बढ़ता जाता है। अतः उर्वराशक्ति में संतुलन की स्थिति को बनाये रखने के लिए कृषि भूमि को कुछ समय के लिए परती छोड़ दी जाती है, परिणाम स्वरूप कुछ समयांतराल के बाद कृषि भूमि को की उर्वराशक्ति का पुनर्भरण हो जाता है, जो कृषि कार्य हेतु अच्छी मानी जाती है, (प्रसाद 1989) अंतर्राष्ट्रीय भूमि उपयोग वर्गीकरण के अनुसार वर्तमान परती भूमि को कृषित भूमि माना है। भारत के भूमि लेख नियमावली (2007) के पैरा 108 के अनुसार वर्तमान परती भूमि को कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत रखा गया है। यह भूमि कि प्राकृतिक गुणवत्ता बनाये रखने की परंपरागत विधि है जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक प्रभावी है।

जनपद जौनपुर में वर्ष 1996 में वर्तमान परती भूमि के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि 23828 हेक्टेयर (6.0 प्रतिशत) थी जो वर्ष 2016 में बढ़कर 32230 (8.11 प्रतिशत) हो गयी। विकासखण्ड स्तर पर आकड़ों के विश्लेषण करने पर विगत दो दशकों (1996-2016) में चार ऐसे विकासखण्ड अधिसूचित किये गये जहाँ वर्तमान परती भूमि में कमी हुई है, जिसमें से प्रमुख विकासखण्ड क्रमशः शाहगंज (51.38 प्रतिशत), प्रथम, धर्मपुर (30.27 प्रतिशत) का द्वितीय स्थान है, तथा तनपद में सत्रह ऐसे विकासखण्ड अधिसूचित किये गये हैं। विकासखण्ड स्तर पर वर्तमान परती भूमि में सर्वाधिक परिवर्तन दर्ज करने वाले अधिसूचित विकासखण्ड सिरकोनी (285.19 प्रतिशत), रामपुर (8219.59 प्रतिशत) एवं डोभी (129.44 प्रतिशत) है।

अन्य परती भूमि :-

वे कृषि योग्य भूमि जिसे दो वर्ष से अधिक एवं पांच वर्ष से कम वर्ष से कम समय तक कृषि रहित भूमि को इसके अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। जनपद में वर्ष 1996 में 17298 हेक्टेयर (4.36 प्रतिशत) से बढ़कर

वर्ष 2016 में 20790 हेक्टेयर (5.28 प्रतिशत) हो गयी। विकासखण्ड स्तर पर आंकड़ों का विश्लेषण करने पर वर्ष 1996 में सर्वाधिक अन्य परती भूमि में विस्तार वाले अधिसूचित विकासखण्ड क्रमशः बरसठी, शाहगंज एवं सुजानगंज तथा न्यूनतम भूखण्ड रखने वाले विकासखण्ड क्रमशः करंजाकला, सुइथाकला एवं खुटहन हैं एवं वर्ष 2016 में सर्वाधिक अन्य परती भूमि रखने वाले अधिसूचित विकासखण्ड क्रमशः बरसठी, शाहगंज एवं सुजानगंज एवं न्यूनतम अन्य परती भूमि वाले विकासखण्ड क्रमशः जलालगंज, मुफ्तीगंज एवं सिकरारा है। (तालिका संख्या 1) जनपद में विगत दो दशकों (1996–2016) में अन्य परती भूमि में परिवर्तन दर में 21.26 की वृद्धि दर्ज की गयी। विकासखण्ड स्तर पर सर्वाधिक दर्ज करने वाले अधिसूचित विकासखण्ड क्रमशः शाहगंज (327.96 प्रतिशत), सुइथाकला (294.54 प्रतिशत) एवं (63.51 प्रतिशत) एवं न्यूनतम परिवर्तन वाले विकासखण्ड जलालपुर (71.36 प्रतिशत), मुफ्तीगंज (65.68 प्रतिशत) एवं धर्मापुर (55.07 प्रतिशत) कमी दर्ज की गयी हैं। जनपद में इस परिवर्तन का प्रमुख कारण मानसून में परिवर्तन, सिंचाई के साधनों का समुचित विकास एवं वितरण, उर्वरकशक्ति में लगातार कमी के साथ-साथ जोत के आकार का विखंडन आदि जिसके कारण जनपद में अन्य परती भूमि में लगातार वृद्धि हो रही है।

ऊसर एवं कृष्य अयोग्य भूमि :-

ऊसर भूमि ऐसी भूमि को कहते हैं जिसमें घुलनशील लवणों या विनिमय सोडियम का बाहुल्य पाया जाता है। “ऊसर भूमि से आशय उस भूमि से है, जिसकी उपरी सतह में लवणीय एवं क्षारीय तत्व नमी के साथ ऊपर सतह पर सफेद पर्त के रूप में फैल जाती है, जिसमें मृदा की सामान्य फसल उगाने की क्षमता नष्ट हो जाती है, (चंदेल सिंह एवं स्थाना, 2012)। जनपद में वर्ष 1996 में कुल ऊसर कृष्य अयोग्य भूमि 6933 हेक्टेयर (1.82 प्रतिशत) थी जो वर्ष 2016 में सर्वाधिक ऊसर एवं कृष्य अयोग्य भूमि वाले अधिसूचित विकासखण्ड क्रमशः मुगराबादशाहपुर (3.2 प्रतिशत), मडियाहू (2.38 प्रतिशत) एवं मछलीशहर (2.74 प्रतिशत) एवं न्यूनतम ऊसर भूमि वाले अधिसूचित विकासखण्ड क्रमशः बक्शा (0.75 प्रतिशत), बदलापुर (0.97 प्रतिशत) एवं महाराजगंज (1.16 प्रतिशत) को प्राप्त है। जनपद में विगत दो दशकों (1996–2016) में कुल ऊसर एवं कृष्य अयोग्य भूमि में परिवर्तन दर में 3 प्रतिशत की कमी आई है। क्षेत्र में 13 ऐसे विकासखण्ड अधिसूचित किये गये हैं जहाँ इस प्रकार की भूमि में कमी हुई है, जिसमें सर्वाधिक कमी प्राप्त विकासखण्ड क्रमशः धर्मपुर (39.68 प्रतिशत), मडियाहू (37.07 प्रतिशत), एवं बक्सा (28.89 प्रतिशत), तथा अधिकतम वृद्धि दर्ज करने वाले अधिसूचित विकासखण्ड बरसठी (76.51 प्रतिशत), मुगराबादशाहपुर (22.57 प्रतिशत) एवं रामनगर (16.67 प्रतिशत) की है। जनपद में सम्पूर्ण ऊसर एवं कृष्य अयोग्य भूमि लगातार घट रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम (विश्व बैंक की भूमि सुधार परियोजना) द्वारा सुधार प्रक्रिया का निरंतर प्रयत्नशील रहा है।

कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी की भूमि :-

इस प्रकार की भूमि का प्रयोग अधिवासों (ग्रामीण एवं नगरीय) अवसंरचनात्मक विकास (सड़क, रेल, नहर एवं अन्य), उद्योगों आदी कार्यों में उपयोग की जाने वाली भूमि को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार की भूमि के अर्न्तगत द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं में उपयोग होने वाली भूमि में वृद्धि हुई है। जनपद में 1996 में 43352 हेक्टेयर भूमि (10.92 प्रतिशत) थी जो वर्ष 2016 में बढ़कर 46986 हेक्टेयर (11.84 प्रतिशत) हो गयी। अध्ययन क्षेत्र में विगत दो दशकों (1996–2016) में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले अधिसूचित विकासखण्ड खुटहन (49.39 प्रतिशत), रामनगर (36.78 प्रतिशत), रामपुर (36.69 प्रतिशत) एवं न्यूनतम परिवर्तन दर्ज करने वाले विकासखण्ड बरसठी (24.35 प्रतिशत), मछली शहर (10.96 प्रतिशत), मुफ्तीगंज (3.78 प्रतिशत) की कमी हुई। क्षेत्र में इस प्रकार की भूमि में वृद्धि का प्रमुख कारण बढ़ती जनसंख्या एवं नगरीयकरण के साथ-साथ आर्थिक क्रियाओं में तीव्र परिवर्तन जिसमें औद्योगिकरण प्रमुख है।

चारागाह:-

इस प्रकार की अधिकांश भूमि पर ग्राम पंचायतों/सरकार का स्वामित्व होता है। इस भूमि का केवल एक छोटे भाग पर निजी स्वामित्व का होता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा सम्पत्ति संसाधन कहा जाता है। इस प्रकार की भूमि ग्रामीण को पशुचारण के काम आते हैं तथा पिछले एक दशक से ऐसी ही

भूमि का उपयोग भूमिगत जल में वृद्धि एवं जल संरक्षण हेतु सरकार द्वारा तालाबों एवं अन्य कार्यों में लायी जा रही है। जनपद में वर्ष 1996-97 में कुल चारागाह 1502 हेक्टेयर (0.38 प्रतिशत) एवं वर्ष 2016-17 में 1338 हेक्टेयर (0.34 प्रतिशत) प्राप्त है। इस क्षेत्र में चारागाह भूमि में कमी का प्रमुख कारण पंचायत अपने पंचायती क्षेत्र के भूमिहीन लोगों को पंचायत भवन शिक्षा हेतु स्कूलों के निर्माण, बाग-बगीचों जैसे कार्यों में उपयोग होने के कारण क्षेत्र में चारागाह भूमि में कमी होती जा रही है।

उद्यानों, वृक्षों एवं झाड़ियों के अन्तर्ग क्षेत्र-

इस प्रकार के क्षेत्र को शुद्ध बाधित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है और न ही वन क्षेत्र में। इस संवर्ग के भूखण्ड में वह भूमि सम्मिलित की जाती है जिसमें उद्यान/फलदार वृक्ष आते हैं। ऐसी भूमि अधिकांशतः निजी स्वामित्व के अन्तर्गत आती है। इस प्रकार की भूमि के अनुप्रयोग से क्षेत्र के लोगों को कृषि के अतिरिक्त आय के स्रोत में सहायक होती है। जनपद जौनपुर में वर्ष 1996-97 में 5343 हेक्टेयर (1.35 प्रतिशत) थी जो 2016-17 में घटकर 4655 (1.17 प्रतिशत) हेक्टेयर रह गयीं। जनपद में इस प्रकार के भू-भाग में कमी का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण झाड़ियों में कमी एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण उद्यानों एवं वृक्षों के क्षेत्र लगातार संकुचित हो रहे हैं।

कृषि भूमि पर प्रभाव:-

भूमि सर्वविधित सीमित संसाधन है जिसे न तो घटाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। भूमि उपयोग एवं कृषित भूमि में वृद्धि कृषि क्षेत्र के विकास का प्रकट करत है। भारत जैसे देश में भूमि उपयोग प्रतिरूप का अध्ययन तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब कृषि हेतु अधिक भूमि उपलब्ध होने के बाद अत्यधिक जनघनत्व के कारण प्रति व्यक्ति कृषि भूमि उपलब्धता 0.15 हेक्टेयर है (सिंह, 2008)। किसी प्रदेश में कृषि भूमि पर वहाँ के अनेक कारकों भौतिक (उच्चावच, मृदा एवं जलवायु), सामाजिक आर्थिक (भूस्वामित्व, जोत के आकार, बाजार की उपलब्धता) तथा अन्य कारकों में (फसल चक्र, सिंचाई सुविधाएँ, फसल प्रतिरूप, प्रति हेक्टेयर उर्वरता का प्रयोग एवं अत्याधुनिक कृषि उपकरणों) आदी के संयोगों से फसल गहनता एवं प्रति हेक्टेयर उत्पादकता प्रभावित होती हैं। इन सभी कारकों ने क्षेत्र में कृषि भूमि उपयोग में कमी होने के बाद भी अधिक प्रभावित नहीं कर सकी, क्योंकि इन सभी के द्वारा अकृषित बंजर, कृषि बंजर, असिंचित भूमि में सुधार हुआ है। क्षेत्र में 90 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण है तो वही कृषि उनकी आजीविका का प्रमुख आधार है, क्योंकि क्षेत्र में कृषि के अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाओं के संसाधनों का अभाव है। क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि एवं उसकी आधार भूत आवश्यकताओं (कृषि आधारित) की आपूर्ति फसल गहनता में वृद्धि (161 प्रतिशत) एवं फसल वैविधिकरण के द्वारा खाद्य उत्पादन एवं आर्थिक समृद्धि जारी रखी जा सकती है।

निष्कर्ष:-

जनपद जौनपुर का वर्तमान अध्ययन विगत दो दशकों (1996-2016) के मध्य विकासखण्ड वार भूमि उपयोग परिवर्तन का कृषि भूमि उपयोगिता पर पड़ने वाले प्रभाव के सन्दर्भ में परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया है। क्षेत्र में भूमि उपयोग के बदलाव, जनसंख्या दबाव के सन्दर्भ में परिलक्षित हुये हैं, इसके अतिरिक्त लोगों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति, मानसूनी वर्षा के प्रभाव, सिंचाई व्यवस्था एवं अनेको सहकारी नितियों का भूमि उपयोग के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्षेत्र में जनवृद्धि के कारण शुद्ध वापित कृषि क्षेत्र में 4.95 प्रतिशत की कमी तथा परती भूमि, कृषि योग्य भूमि में वृद्धि दर्ज हुई है। क्षेत्र में भूमि सुधार सम्बन्धित नीतियों के क्रियान्वयन से ऊसर भूमि में कमी एवं कृषि के अतिरिक्त अन्य भूमि उपयोग में वृद्धि हुई है।

कृषि भूमि पर बढ़ते जनदबाव एवं बढ़ती खाद्य आपूर्ति की मांग जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए क्षेत्र में उपलब्ध कृषि भूमि के अतिरिक्त भूमि को सुधारकर कृषि हेतु अधिकाधिक उपयोग तथा कृषि यान्त्रिकी यन्त्रों का उचित उपयोग, उन्नतशील बीजों, रासायनिक एवं जैविक उर्वरकों का संतुलित उपयोग कर फसल संकेन्द्र में वृद्धि के साथ व्यवसायिक कृषि को बढ़ावा देकर फसल वैविधिकरण से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि कर खाद्य आपूर्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव है।

सन्दर्भ गन्थ सूची:-

- वारलो, आर. एण्ड जॉनसन, बी.डब्ल्यू. (1954) : लैण्ड प्रोबलम एण्ड पॉलिसिज, मैकग्रा हिल बुक कम्पनी, आई.एन.सी., न्यूयार्क, पृ. 99.
- कुशवाहा, लालजी एवं शर्मा वी.एन. (2014), देवरिया में भूमि उपयोग परिवर्तन, एक भौगोलिक विश्लेषण, राष्ट्रीय भौगोलिक पत्रिका, अंक 01, पृष्ठ सं. 77-90।
- तिवारी, आर.सी. एवं सिंह, बी. (1994) : कृषि भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृ. 35.
- तिवारी, आर.सी. एवं सिंह, बी. (2009) : भारत का भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद ।
- पाण्डेय, जे.एन. (2008), कृषि भूगोल, वसुधारा प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 83-90.
- सिंह विजय, सिंह चन्द्र प्रकश, (2011), “मडिहार विकासखण्ड (मीरजापुर) में भूमि उपयोग एवं भूमि उपयोग क्षमता में स्थानिक-कालिक परिवर्तन: एक भौगोलिक अध्ययन”, दिसम्बर 2011, अंक 2, पृष्ठ 93-118.
- Ali Mohammed (1978), ‘Studies in Agricultural Geography’, Rajesh Publications, New Delhi, 1978, pp-1-6.
- Bhatia, S.S. (1965) : Patterns of Crop Combination and Diversification in India; Economic Geography, Vol. 41, pp. 39-56.
- Chandel, R.S. (1991) : Agriculture Change in Bundelkhand Region, Star Distributors Publication Division, Varanasi.
- Chatterjee (1952), ‘Land utilization survey of Howrah Districts’, Geographical Review of India. Vol.14, No,13.
- D. Chakraborty, K.H Kamal and other. (2013), Research Paper , Land use and Agri-Production: A case study in Western Uttar Pradesh, Recent Reseach in Science and technology, Vol .2(9), PP 11-17.
- District Statistical Book 1996-2016.
- Mishra B. N. (ed) (1990), ‘Land utilization and management in India’, Chugh.
- Shafi, M. (1972) : Measurement of Agricultural Productivity of the Great Indian Plain; The Geographer, Vol. 19, No. 1, pp. 4-13.
- Singh.R.P and Islam Zubairul. (2010), Research Paper, Land use planning in western Uttar Pradesh: Issue and challenges, Journal of Environment and Nanotechnology, Vol.2, PP,70-73.